भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2381

उत्तर देने की तारीख 01 अगस्त, 2022

सोमवार, 10 श्रावण,1944 (शक)

कौशल भारत मिशन

2381. श्री मितेष पटेल (बकाभाई): श्री जगन्नाथ सरकार: श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान 'कौशल भारत मिशन' के कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) अब तक गुजरात में 'उच्च शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता' के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की क्षेत्र-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) गुजरात में रोजगार पाने वाले ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) कौशल विकास के लिए की गई पहलों के संदर्भ में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के मामलों में निजी क्षेत्र द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है; और

(ङ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित कौशल विकास संस्थानों की सूची क्या है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्या पहल की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत देश भर के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (□ ईटी□ ई) के जरिए शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान पीएमकेवीवाई, एनएपीएस, जेएसएस और सीटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की राज्य-वार सूची क्रमशः अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-IV में दी गई हैं।

(ख) एमएसडीई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (□ रपीएल) के माध्यम से अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी, उद्योग/नियोजक मांग-संचालित, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, पीएमकेवीवाई का कार्यान्वयन कर रहा है। गुजरात में □ रपीएल के अंतर्गत प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों की जिले-वार सूची अनुबंध-V में दी गई है।

(ग) पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के अंतर्गत गुजरात में नियोजित उम्मीदवारों की जिले-वार सूची अनुबंध-VI में दी गई है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएस□ र नीति) नियमावली, 2014 के तहत निगम सामाजिक दायित्व (सीएस□ र) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन क्रियाकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जो कंपनियों द्वारा सीएस□ र के रूप में शुरू की जा सकती हैं। अनुसूची VII की मद संख्या (ii) क्रमशः पात्र सीएस□ र गतिविधियों के रूप में "विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, और दिव्यांग और □ जीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाले रोजगार" को सूचीबद्ध करती है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 और दिनांक 25 अगस्त, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अनुसूची VII में उल्लिखित मद व्यापक □ धार वाली हैं और उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों के माध्यम से निगमों को अपनी सीएस□ र निधि का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(ङ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित कौशल विकास संस्थानों और पहलों की सूची इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, मंत्रालय निगमों को सीएस□ र क्रियाकलापों के भाग के रूप में कौशल विकास क्रियाकलापों (कौशल संस्थाओं की स्थापना सहित) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण:

राज्य	वित्त वर्ष 19-20	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,259	1,464	613
▯ंध्र प्रदेश	1,05,667	66,404	13,199
अरुणाचल प्रदेश	15,700	51,991	8,884
असम	1,98,896	3,62,506	24,517
बिहार	1,91,902	96,288	47,643
चंडीगढ़	9,507	3,834	893
छत्तीसगढ	46,548	16,151	9,495
दिल्ली	1,46,205	55,121	19,965
गोवा	4,300	1,709	604
गुजरात	1,55,195	48,489	35,001
हरियाणा	1,75,386	54,719	18,181
हिमाचल प्रदेश	48,870	15,612	8,724
जम्मू और कश्मीर	1,22,659	58,927	21,339
झारखंड	1,20,103	15,477	34,316
कर्नाटक	1,65,247	53,066	23,153
केरल	78,523	31,077	12,968
लद्दाख	1,937	181	731
लक्षद्वीप	60	90	120
मध्य प्रदेश	2,23,483	95,403	46,672
महाराष्ट्र	6,37,002	1,48,352	39,864
मणिपुर	28,962	34,540	6,424
मेघालय	11,999	17,769	3,406
मिजोरम	10,837	11,433	4,742
नगालैंड	17,364	14,399	4,184
उड़ीसा	2,39,050	68,828	12,645
पुदुचेरी	7,172	3,241	1,622
पंजाब	97,681	57,054	18,539
राजस्थान	4,46,900	97,822	38,511
सिक्किम	5,123	3,634	1,322
तमिलनाडु	1,85,108	72,404	29,057
तेलंगाना	1,08,145	33,999	13,107
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5,338	222	252
त्रिपुरा	50,388	46,676	4,490
उत्तर प्रदेश	6,56,829	2,39,286	69,015
उत्तराखंड	68,250	29,412	10,522
पश्चिम बंगाल	1,77,880	53,221	31,406
योग	**45,65,475**	**19,60,801**	**6,16,126**

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएपीएस के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण:

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1
आंध्र प्रदेश	357	2,134	2,579
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	0	9	36
बिहार	56	158	709
चंडीगढ़	25	161	160
छत्तीसगढ	12	414	883
दादरा और नगर हवेली	0	1	48
दमन और दीव	0	17	134
दिल्ली	4	652	446
गोवा	0	201	517
गुजरात	2874	35,749	53,794
हरियाणा	1006	15,829	24,369
हिमाचल प्रदेश	3	882	1,002
जम्मू और कश्मीर	66	203	131
झारखंड	170	1,338	3,727
कर्नाटक	222	2,953	6,627
केरल	285	2,740	5,552
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	216	2,745	5,304
महाराष्ट्र	3570	19,229	32,419
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	0
नगालैंड	0	0	0
उड़ीसा	156	1,247	2,057
पुदुचेरी	31	277	544
पंजाब	116	1,022	2,011
राजस्थान	158	2,328	2,600
सिक्किम	0	3	38
तमिलनाडु	1193	4,328	6,368
तेलंगाना	573	3,028	5,048
त्रिपुरा	0	261	60
उत्तर प्रदेश	289	8,337	20,530
उत्तराखंड	31	1,414	1,192
पश्चिम बंगाल	154	582	953
योग	**11564**	**1,08,242**	**1,79,839**

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएसएस के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
अण्डमान और निकोबार	0	0	900
आंध्र प्रदेश	10901	8580	11699
अरुणाचल प्रदेश	570	0	0
असम	9243	8883	9139
बिहार	22708	16314	28769
चंडीगढ़	1836	1120	1600
छत्तीसगढ	13483	10480	18151
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1558	897	2379
दिल्ली	5487	4940	5440
गोवा	1741	1664	1740
गुजरात	18640	16840	19228
हरियाणा	9002	8705	8939
हिमाचल प्रदेश	1400	1504	8424
जम्मू और कश्मीर	3429	3554	2396
झारखंड	5383	4424	9964
कर्नाटक	16201	15525	18735
केरल	16247	13900	16148
लद्दाख	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	50449	45501	52222
महाराष्ट्र	38023	35102	38479
मणिपुर	5387	5327	6285
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	900
नगालैंड	1800	1800	1812
उड़ीसा	30677	25820	40635
पंजाब	3434	1607	3567
राजस्थान	9069	9493	12443
तमिलनाडु	14244	11727	14045
तेलंगाना	12452	8497	10398
त्रिपुरा	1631	1101	2610
उत्तर प्रदेश	85436	77335	88648
उत्तराखंड	10776	8800	12433
पश्चिम बंगाल	14125	10356	13868
सकल योग	**415332**	**359796**	**461996**

अनुबंध-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीटीएस के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य	नामांकन 2019	नामांकन 2020	नामांकन 2021
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	441	619	531
2.	▯ंध्र प्रदेश	56264	49142	45600
3.	अरुणाचल प्रदेश	564	577	497
4.	असम	2965	3210	3500
5.	बिहार	112124	104809	109884
6.	चंडीगढ़	968	831	910
7.	छत्तीसगढ	21831	19228	22319
8.	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	319	318	443
9.	दिल्ली	9757	8672	8773
10.	गोवा	1727	1742	2080
11.	गुजरात	69531	85391	81220
12.	हरियाणा	52772	54209	48701
13.	हिमाचल प्रदेश	22203	17864	20332
14.	जम्मू और कश्मीर	4396	7297	8024
15.	झारखंड	33459	25606	29196
16.	कर्नाटक	73714	54243	65697
17.	केरल	35165	31578	35493
18.	लद्दाख	151	118	171
19.	लक्षद्वीप	246	435	374
20.	मध्य प्रदेश	73232	71061	63009
21.	महाराष्ट्र	110734	102679	112979
22.	मणिपुर	80	82	108
23.	मेघालय	512	514	508
24.	मिजोरम	274	242	254
25.	नगालैंड	228	222	186
26.	उड़ीसा	49043	49694	57373
27.	पुदुचेरी	789	687	689
28.	पंजाब	39623	47588	39946
29.	राजस्थान	136139	101487	94776
30.	सिक्किम	207	260	181
31.	तमिलनाडु	35024	27314	28401
32.	तेलंगाना	32775	29466	27177
33.	त्रिपुरा	1497	2018	1603
34.	उत्तर प्रदेश	335642	279799	272778
35.	उत्तराखंड	11052	8342	8906
36.	पश्चिम बंगाल	32506	30692	29207
	योग	**13,57,954**	**12,18,036**	**12,21,826**

अनुबंध-V

गुजरात में आरपीएल के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की स्थापना के बाद से जिले-वार संख्या:

जिला	**आरपीएल**
अहमदाबाद	36,855
अमरेली	713
▯ नंद	4,614
अरवल्ली	771
बनास कंठ	8,644
भरूच	2,809
भावनगर	6,641
बोटाड	2,661
छोटाउदेपुर	168
डैंग	668
देवभूमि द्वारका	294
दाहोद	434
गांधीनगर	8,150
गिर सोमनाथ	2,662
जामनगर	5,369
जूनागढ़	2,503
कच्छ	8,688
खेड़ा	2,906
महेसाणा	4,725
महिसागर	759
मोरबी	719
नर्मदा	2,473
नवसारी	1,377
पंच महल	2,948
पटना	1,489
पोरबंदर	803
राजकोट	12,001
सबर कंठ	3,520
सूरत	68,182
सुरेंद्रनगर	1,388
तापी	1,157
वडोदरा	10,568
वलसाड	2,289
सकल योग	**2,09,948**

अनुबंध-VI

गुजरात में रोजगार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की स्थापना के बाद से जिले-वार संख्या:

जिला	नियोजित रिपोर्ट
अहमदाबाद	9,120
अमरेली	610
▯ नंद	1,212
अरवल्ली	3
बनास कंठ	2,495
भरूच	2,579
भावनगर	2,772
बोटाड	896
छोटाउदेपुर	1,619
डैंग	354
देवभूमि द्वारका	138
दाहोद	550
गांधीनगर	1,269
गिर सोमनाथ	764
जामनगर	4,994
जूनागढ़	2,246
कच्छ	3,135
खेड़ा	1,024
महेसाणा	2,858
महिसागर	464
मोरबी	2,567
नर्मदा	1,309
नवसारी	656
पंच महल	1,460
पटना	316
पोरबंदर	389
राजकोट	3,410
सबर कंठ	896
सूरत	6,173
सुरेंद्रनगर	3,655
तापी	931
वडोदरा	3,863
वलसाड	3,880
सकल योग	**68,607**

****